

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 23 मई, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रु० प्रतिमाह करने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। साथ ही, ऐसे दिव्यांगजन जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं और केन्द्र सरकार की योजना से अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी अनुदान राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने और इस अतिरिक्त बढ़ी धनराशि का राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के सन्दर्भ में भारत सरकार से यह अनुरोध करने का भी फैसला लिया गया है कि वह इस योजना की धनराशि को 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार करने का कष्ट करें।

विगत 10 वर्षों से दिव्यांग भरण पोषण योजना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण योजना की मासिक अनुदान राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के माध्यम से कुल 8 लाख 83 हजार 157 दिव्यांगजनों को 321.53 करोड़ रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग भरण

पोषण योजना की अनुदान की राशि बढ़ाये जाने से राज्य सरकार पर लगभग 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है।

**कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना हेतु नगर निगम गाजियाबाद
की ग्राम अरथला स्थित भूमि को धर्मार्थ कार्य विभाग को
निःशुल्क दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी**

मंत्रिपरिषद ने कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना हेतु नगर निगम गाजियाबाद की ग्राम अरथला स्थित 8,125 वर्ग मीटर भूमि को धर्मार्थ कार्य विभाग को निःशुल्क दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही, प्रस्ताव में आवश्यकता होने पर आवश्यक सुसंगत संशोधन या परिवर्तन के लिए नगर विकास मंत्री को अधिकृत किये जाने का फैसला भी लिया है।

नगर निगम, गाजियाबाद की इस भूमि पर धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया जाएगा। निःशुल्क प्राप्त होने के कारण भवन की लागत में कमी आएगी तथा इससे राजकोष पर दबाव भी कम पड़ेगा। कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण की अवधि तथा उसके पश्चात इससे रोजगार सृजन में भी सहायता प्राप्त होगी।

गौरतलब है कि कैलाश मानसरोवर एक प्रसिद्ध हिन्दू धार्मिक स्थल है। यह एक कठिन यात्रा होती है। श्रद्धालु वहां जाने की अभिलाषा रखते हैं। श्रद्धालुओं की अभिलाषा के दृष्टिगत कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्व आवश्यक सुविधाओं सहित सुसंगत सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में उपयुक्त स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी थी।

**उ०प्र० राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन)
(छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी**

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों को अनुमन्य एक लाख रुपये के रेल कूपनों में से उनके निजी वाहन के पेट्रोल व डीजल के लिए 50 हजार रुपये अनधिक वार्षिक धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किये जाने तथा इस हेतु पूर्व सदस्यों द्वारा अपना दावा प्रत्येक कूपन वर्ष दिनांक 1 जून से 31 अगस्त के मध्य प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) नियमावली-1981 में एक नया नियम 19ग जोड़ा गया है। साथ ही, इस धनराशि का भुगतान प्राप्त किये जाने के लिए वांछित प्रारूप का समावेश किए जाने के लिए यह संशोधन किया गया है।

जनपद वाराणसी स्थित विशेश्वर विश्राम गृह की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कार्य में उच्च विशिष्टियों का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी स्थित विशेश्वर विश्राम गृह (जजेज गेस्ट हाउस) की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कार्य में उच्च विशिष्टियों यथा, स्टेयर केस में ग्रेनाइट फ्लोरिंग, स्टोन जाली एवं स्टोन टाइल्स क्लेडिंग के प्रयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

व्यय वित्त समिति ने इस कार्य के लिए 336.59 लाख रुपये की लागत अनुमोदित की है। यह कार्य कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराया जाएगा।